E-mail: registrar@csjmu.ac.in
registrarcsjmuknp@gmail.com

☎: 0512-2246609
☎: 0512-2582251

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा **A++** ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University Kanpur-208024)

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब. /111 /2024 दिनांक : 10/07/2024

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांकः 29.06.2024) एवं कार्य परिषद की अनुमति की प्रत्याशा में **नारायन कालेज ऑफ साइंस एण्ड आर्टस, आलमपुर हौज, आगरा रोड, इटावा को स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **दिनांक 01.07.2024** से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (*Starting the Class*) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा। **(मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न होने की स्थिति में)**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तो का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तथा भूमि व भवन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं का पुष्टिकरण भविष्य में होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्याः-226/सत्तर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांकः 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अधीन किया जाएगा।
11. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिंल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे। सत्र की गणना बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा सीट आवंटन के सत्र से की जायेगी।
12. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
13. **पूर्व संचालित/नवीन महाविद्यालय (पूर्व संचालित/नवीन पाठ्यक्रम) हेतु All India Council For Technical Education, New Delhi (AICTE) के Advt No: AICTE/Regulation/Bureau/2024(1) द्वारा जारी Public Notice for Approval Process 2024-25 एवं अर्धशासकीय पत्र संख्याः D.O.No.2-79/2023(CPP=11), दिनांक 08 जनवरी, 2024 में दिये गये निर्देश के क्रम में ए०आई०सी०टी०ई० से संचालित होने वाले समस्त पाठ्यक्रम (यथा- बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० आदि) हेतु नियामक संस्था से अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिये जायेंगे। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/प्रबन्धतंत्र का होगा।**

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. प्रबन्धक, **नारायन कालेज ऑफ साइंस एण्ड आर्टस, आलमपुर हौज, आगरा रोड, इटावा** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तो का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वैय0 सहायक परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. सम्बन्धित को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के कालेज लॉग-इन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सी०डी०सी०/डीन, सम्बद्धता।
8. प्रभारी, पी०एम०यू०।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

Scanned with CamScanner